चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 13.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा पटौनी में,थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में,थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना भरतकूप द्वारा बाल कृष्ण स्कूल में,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में, महिला थाना द्वारा कल्याण भारती इंटर कॉलेज कालूपुर में,थाना राजापुर द्वारा कस्बा में,थाना बहिलपुरवा के ग्राम बौना पुरवा में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति के मार्गदर्शन में उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त लवलेश पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम बरगदी पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक बोरे में 20 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह
2.आरक्षी संदीप कुमार
3.आरक्षी लकी सिंह

(3). आज दिनांक 13.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया।

परेड के दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, चुस्त-दुरुस्त एवं ड्यूटी के प्रति सदैव तत्पर रहने हेतु विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से परेड में सम्मिलित अधिकारी/कर्मचारीगण से दौड़ भी कराई गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता एवं कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा ड्रिल का अभ्यास कराया गया।

इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थानों से आए चार पहिया/दो पहिया वाहनों, डायल-112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे अन्य वाहनों का निरीक्षण कर वाहनों की स्थिति का जायजा लिया गया। प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों में पाई गई कमियों को तत्काल दूर कराने तथा वाहनों के उचित रख-रखाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा डायल-112 कार्यालय, आवासीय परिसर, बैरक, सीपीसी कैंटीन, मंदिर, भोजनालय एवं आर्मरी का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों आदि का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कर्मचारियों का अर्दली रूम कर उनकी समस्याओं/शिकायतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन्स/मऊ श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय पहुंचे फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनके शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा फरियादियों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री प्रभाष रंजन गुप्ता द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 13.11.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 175/26 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पवन कुमार पुत्र जागेश्वर निवासी कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी श्री अश्विनी उपाध्याय द्वारा आज दिनाँक 13.11.2026 को सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त चुन्नीलाल पुत्र चुकऊवा निवासी बिहरवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट न्यायालय उठने तक की सजा व 8710/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(7). आज दिनांक 13.11.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा थाना मऊ का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर, थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क तथा मिशन शक्ति केन्द्र का निरीक्षण किया गया।

साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराध के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। थाना परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था, विद्युत, पेयजल एवं शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त एवं सुव्यवस्थित रखने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अपर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों को जनता के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार रखते हुए कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।थाना अभिलेखों एवं रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक मऊ को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने, लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने, वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।